कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /स0सु0/ई–21263/1–8(180)/2025 दिनांक जनवरी, 2025

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी,
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः स्कूलों में 'रोड सेफ्टी कॉर्नर' डिजाईन के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के कार्यालयादेश संख्या–131579/स0सु0/ ई–21263/1–8(180)/2024 दिनांक 26–11–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत सभी संभागों/उपसंभागों में स्कूलों का चिन्हीकरण करते हुए मुख्यालय स्तर पर निर्धारित डिजाईन के अनुसार 'रोड सेफ्टी कॉर्नर' विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उक्त कार्य हेतु प्रत्येक कार्यालय को रूपये 2.50 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

उक्त निर्देशों के क्रम में मुख्यालय स्तर पर अनुमोदित डिजाईन एवं खेल का विवरण इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें और कृत कार्यावही की आख्या इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

Signed by
Sanat Kumar Singh
Date: 24-01-2025 14:40:40

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारी।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

File No. TCOUK-RS01-8/43/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 21263)
Generated from eOffice by MAHESH SINGH, TCO-SA-MAHESH.SINGH, SENIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 24/01/2025 03:40 pm

स्कूलों में 'रोड सेफ्टी कॉर्नर' डिजाईन के संबंध में।

1. प्रत्येक स्कूल में कॉर्नर का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि उक्त स्थान पर कम से कम 02 दीवारें आपस में मिलती हों।
2. कॉर्नर का विकास निम्न मानचित्र के अनुसार किया जाएगाः–

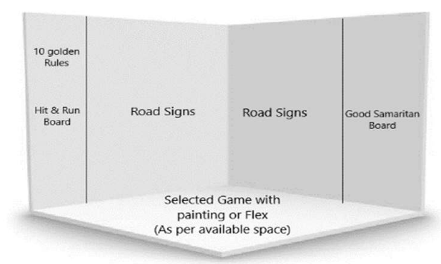

3. दीवार पर पेंटिंग/फ्लैक्स मुद्रण के अन्तर्गत गुड समेरिटन/हिट एण्ड रन संबंधी जागरूकता, 10 स्वर्णिम नियम, रोड साईन आदि का प्रदर्शन कराया जाए। उक्त प्रदर्शन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि रोड साईन की कलर स्कीम मोटरयान अधिनियम 1988 में दिए गए मानक के अनुसार हो।
4. फर्श पर उपलब्ध स्थान के आधार पर निम्नलिखित क्रीड़ाओं में से किसी एक अथवा अधिक क्रीड़ाओं का चयन करते हुए डिजाईन पेंटिंग के माध्यम से अथवा फ्लैक्स पर मुद्रित करायी जाएगी।

   (1) घुमावदार सड़क पर चलना

   (2) डार्ट बोर्ड

File No. TCOUK-RS01-8/43/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 21263)
Generated from eOffice by MAHESH SINGH, TCO-SA-MAHESH.SINGH, SENIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 24/01/2025 03:39 pm

(3) सड़क—जुर्माना

5. क्रीड़ा की पेंटिंग/फ्लैक्स मुद्रण के समय खाने का आकार न्यूनतम 18 इंच रखा जाएगा ताकि उसमें बच्चे खड़े होकर खेल में हिस्सा ले सकें।

6. उपरोक्त खेलों हेतु प्रयोग किए जाने वाले पासे को आर्ट एण्ड क्राफ्ट के माध्यम से तैयार कराया जाए। उदाहरण के लिए एक पासे का डिजाईन निम्नवत् हो सकता है:—

7. विभिन्न खेलों एवं जागरूकता हेतु कार्डबोर्ड के माध्यम से सड़क एवं आर्ट एण्ड क्रॉफ्ट (क्ले, आईसक्रीम स्टिक, कार्ड बोर्ड आदि) के माध्यम से साईन बोर्ड भी बनाए जा सकते हैं, जिनका डिजाईन निम्नवत् हो सकता है:—

8. इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों को सड़क सुरक्षा एवं नियमों से जोड़ने के लिए कार्डबोर्ड/मोटे कागज के माध्यम से फैन्सी ड्रैस बनायी जा सकती है, जिसके लिए निम्नवत् डिजाईन का उपयोग किया जा सकता है:–

Signed by
Sanat Kumar Singh
Date: 24-01-2025 14:39:59

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।